

खनन विभाग की टीम पर पत्थरबाजी करने वाले पांच आरोपी गिरफ्तार

सराड़ा थाना पुलिस ने जेसीबी मशीन जब्त की

उदयपुर, (कासं)। सराड़ा थाना पुलिस ने अवैध खनन माफियाओं पर कार्यवाही करने आई खनन विभाग की टीम पर पत्थरबाजी कर तोड़फोड़ एवं राजकार्य बाधा करने वाले पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से जेसीबी मशीन जब्त की। प्रकरण के अनुसार पीड़ित युआईटी कॉलोनी प्रतापनगर हॉल

खनन कार्य देखक द्वितीय राकेश पुत्र कालुलाल ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दी कि 26 मई को मैं, धर्मपालसिंह राणावत सरकारी वाहन से हरीला तालाब पहुंचे। जहां जेसीबी मशीनों से खनन खनन किया जा रहा था तथा खान विभाग की गाड़ी को देख काम करने वाले भाग गए। इस दौरान बाइक पर शारूक, नरेश, मुकेश, राकेश

नारायण व गोविन्द व साथी आए। जिन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दिया। जिससे गाड़ी के कांच फूट गए तथा आरोपी फरार हो गए। इस मामले में प्रकरण दर्ज होने पर जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय मुकेश सांखला, पुलिस उप अधीक्षक

सराड़ा राजेन्द्रसिंह जैन के सुपरविजन में सराड़ा थानाधिकारी अनिल बिशनोई के नेतृत्व में गठित दल ने अनुसंधान में मिले साक्ष्यों के आधार पर मुकेश पुत्र हकरा, नरेश पुत्र हकरा, गोतम पुत्र पुंजा, गंगाराम पुत्र रूपा, पुंजा पुत्र रामा निवासीयान ढाणी मेलाणा, सराड़ा को गिरफ्तार कर जेसीबी मशीन जब्त की।

आनलाइन ठगी का मामला दर्ज

उदयपुर, (कासं)। शहर के हिरणमगरी थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ ऑनलाईन ठगी कर नकदी हड़पने का मामला दर्ज किया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित महावीर काम्लेक्स कुभानगर हिरणमगरी से. 4 निवासीमहावीर प्रसाद पुत्र मयूरालाल जैन ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया कि मेरे मोबाइल पर 26 मई को घर का विद्युत कनेक्शन काटने तथा इसके लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करने का मेसेज आया।

मोबाइल पर बात की तो उसके कहने पर एक एप डाउन लोड किया। कुछ ही देर बाद मेरे बैंक खाते से क्रमशः 83,500, 30 हजार, 30 हजार, 14 हजार व 18 हजार रुपये सहित कुल करीब 1 लाख 73 हजार से अधिक की नकदी निकालने का मेसेज मिला। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की।

युवती को भगा ले जाने वाला गिरफ्तार, जेल भेजा

नसीराबाद, (निसं)। नसीराबाद सदर थाना अंतर्गत एक ग्राम से गत 24 मई को सरवाड़ निवासी अनिल भटनागर उर्फ महबूब खान द्वारा 20 वर्षीय युवती को जादू टोने का डर दिखाकर बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। जिस पर युवती के पिता ने गत 25 मई को सदर थाना नसीराबाद में मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद से ही सदर थाना पुलिस युवती की तलाश में जुटी हुई थी।

वहीं सदर थाना अधिकारी राजेश मीणा द्वारा टीम बनाकर विभिन्न जगहों पर दखला दी गई। जिस पर गत 1 जून को युवती को भीलवाड़ा के निकट से दस्तयाव कर नसीराबाद लेकर आए। जिस पर युवती ने सदर थाना में तंत्रिक पर जादू टोने का डर दिखाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दी। जिस पर सदर थाना पुलिस



युवती को भगाने के आरोपी को जेल भेजा।

ने मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ करते हुए आरोपी तंत्रिक अनिल भटनागर उर्फ महबूब खान को तीन जून को गिरफ्तार किया, जिसे चार जून नसीराबाद न्यायालय में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

शहीद के परिवार को स्थानीय प्रशासन ने बधाई देना भी जरूरी नहीं समझा



शहीद अजीत सिंह के परिजन मैडल दिखाते हुए।

बहरोड़/नीमराना, (निसं)। अलवर जिले के बहरोड़ तहसील के ग्राम गंडाला निवासी शहीद अजीत सिंह के परिवार पत्नी अनीता यादव व उसके पुत्रों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा 31 मई 2022 को शौर्य चक्र से सम्मानित किया था। वहीं 5 दिन बीतने के बाद भी स्थानीय उपखंड अधिकारी, जिलाधिकारी सहित पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों ने शहीद परिवार के किसी सदस्य से मिलना या संवेदनाएं व बधाई देना भी जरूरी नहीं समझा।

इस संदर्भ में जब उपखंड अधिकारी बहरोड़ सचिव यादव से बात की गई तो अधिकारी ने बताया कि उन्हें अभी नहीं मालूम कि राष्ट्रपति ने कैसे और क्यों सम्मानित किया है और उसे क्या बधाई देना चाहिए। उन्होंने यह भी नहीं मालूम था कि उनके दायित्व क्या है प्रोटोकॉल क्या है। लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि एक शहीद को मरणोपरांत शौर्य चक्र जैसा सम्मान

प्राप्त हुआ है और वे शीघ्र ही इस संदर्भ में अपने प्रोटोकॉल और दिए जाने वाले लाभों के बारे में जानकारी जुटाएंगे। आज जब शहीद अजीत सिंह के परिजनों से मुलाकात हुई तो इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस कमिटी के सदस्य बस्तीराम यादव तथा गंडाला गांव के शहीद के भाई जोगेंद्र परिवार के साथ वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि सहित परिजन व बहरोड़ के श्रीराम एंजेंसी के मालिक ही उपस्थित रहे। जिसमें शहीद के पुत्र आशीष यादव से बात करने पर उसने बताया कि शहीद के परिजन को नौकरी के मामले में आबकारी विभाग के आयुक्त प्रकाश राजपुरोहित कार्यालय उदयपुर ने नौकरी के मामले में विश्वास दिलाने हुए कहा था बताया कि जून 2022 के अंत तक आपका प्रकरण आबकारी निरीक्षक सेकंड हेतु रिक्त पद नहीं थे जैसे ही रिक्त पद होंगे आपके दस्तावेज राजस्थान लोक सेवा आयोग को

भेजकर आपकी मदद की जाएगी। उनकी असाधारण और विशिष्ट साहसिक कार्य को देखते हुए बलिदान के शौर्य चक्र मरणोपरांत देते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री, रक्षामंत्री व गृह मंत्री तथा उर्ध्व सेनाओं के अधिकारियों के उपस्थिति में शहीद को बेवा अनीता यादव पत्नी अजीत सिंह निवासी गण्डाला तहसील बहरोड़ जिला अलवर राजस्थान को शौर्य चक्र प्रदान कर सम्मानित किया गया था। 31 मई को राष्ट्रपति कार्यालय की सूचना पर सीआरपीएफ की टीम अपने अधिकारियों के साथ गंडाला निवासी शहीद बेवा अनीता यादव को लेकर परिवार सहित राष्ट्रपति कार्यालय पहुंची थी, जहां देश का सर्वोच्च स्तर का शांति काल में दिए जाने वाला तीसरे नंबर का पुरस्कार बहरोड़ के गंडाला गांव के शहीद हवलदार अजीत सिंह के नाम उनकी बेवा व पुत्रों को सौंपा गया।

आसाराम को चेकअप के लिए एम्स ले जाया गया

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर जेल में बंद आसाराम को आज कड़े सुरक्षा घेरे में जांच के लिए एम्स ले जाया गया। एम्स में डॉक्टरों ने उनकी कई तरह की जांच की। बताया जा रहा है कि उन्हें यूरिन इन्फेक्शन है। जांच के बाद उन्हें वापस जेल भेज दिया। जेल से एम्स लाए जाने के दौरान रास्ते में कई स्थान पर बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद थे। आसाराम का वाहन देखते ही वे उसके पीछे भागे, लेकिन वे उसके निकट नहीं पहुंच पाए। यूरिन इन्फेक्शन से जुड़ी तकलीफ होने के बाद आसाराम बापू को आज एम्स लाया गया। एम्स में करीब दो घंटे तक उनकी कई तरह की जांच की गई। जांच रिपोर्ट आने के बाद उनके सेहत के बारे में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें किसी प्रकार की गंभीर बीमारी नहीं है। अधिकांश जांच सामान्य नजर आ रही है। करीब दो घंटे की जांच के बाद आसाराम को वापस जेल ले जाया गया। डॉक्टरों का कहना है कि 83 वर्षीय आसाराम में बढ़ती उम्र में होने वाली कुछ बीमारियां अवश्य हैं, लेकिन सामान्य तौर पर वे ठीक हैं। आसाराम ने अपनी सेहत का हवाला देकर

आसाराम को यूरिन में इन्फेक्शन की जांच के बाद वापस जेल भेज दिया

राजस्थान हाईकोर्ट में सजा स्थगन की याचिका दायर कर रखी है। इस याचिका पर सरकारी पक्ष के वकील का चुनाव पेश नहीं होने के कारण गत सुनवाई टल गई थी। जेल से आसाराम को एम्स ले जाने की भनक उसके समर्थकों को पहले से लग चुकी थी। ऐसे में जेल के बाहर से लेकर एम्स तक कई स्थान पर उनके समर्थक पहले से आ डटे। जेल व एम्स के बाहर सबसे अधिक समर्थक थे। हमेशा की तरह आसाराम का वाहन देखते ही वे उसकी एक झलक देखने को पीछे भागे, लेकिन वे निकट पहुंचते तब तक वाहन आगे बढ़ गया। आसाराम की जांच के दौरान भी कुछ समर्थकों ने निकट जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया।

संदिग्ध हालत में रोडवेज चालक की मौत

हिण्डौन सिटी, (कासं)। रोडवेज आगार में कार्यरत ड्राइवर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। शनिवार सुबह रोडवेज के पास चालक का शव मिलने से रोडवेज कर्मियों में हड़कंप मच गया। डिप्टी कंट्रोलर पुष्पेंद्र गुप्ता ने बताया कि गांव चिकोलिया थाना ततारपुर चौराहा मंडावर जिला अलवर निवासी उदय सिंह (55) पुत्र हरी सिंह रोडवेज विभाग में ड्राइवर के पद पर कार्यरत था। शनिवार को उदय सिंह का शव संदिग्ध परिस्थितियों में डिपो में मिलने से रोडवेज कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। हालांकि उदय सिंह के संदिग्ध परिस्थिति में पाए जाने के बाद रोडवेज आगार के गार्ड लखनलाल, मैकेनिक दिलीप सिंह व कैलाश मीणा ने उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया। जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। कोतवाली पुलिस थानाधिकारी वीर सिंह ने बताया कि मृतक के भाई सुरेंद्र की ओर से मामला दर्ज किया गया है। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर मृतक का शव भाई सुरेंद्र, भाई बलबीर और दामाद आजाद को सुपुर्द कर दिया है।

आरएसी जवान के मकान से जेवर चोरी

उदयपुर, (कासं)। शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में स्थित आरएसी जवान के मकान का अज्ञात चोर ताला तोड़ कर जेवरत चुरा ले गए।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार आरएसी के जवान गोंडा जालौर हॉल नाकोड़ा भैरवाय नगर निवासी भजनलाल पुत्र भगवानराम बिशनोई के सूनने मकान का अज्ञात चोरताला तोड़ कर सोने की चेन, एक अंगुठी, चांदी के पायजेब, नाक की फिंगी चुरा ले गए। भजनलाल 26 मई को मकान पर ताला लगा कर अपने गांव गया था। 2 जून को लौटा तो मकान का ताला टूटा हुआ एवं कमरों में सामान बिखरा पड़ा था। तलाशी ली तो जेवरत गायब थे। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की।

दुष्कर्म व ब्लैकमेल का प्रकरण दर्ज

उदयपुर, (कासं)। दोस्ती होने पर पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने वाले ने के बाद उसे व पति को ब्लैकमेल करने वाले के खिलाफ पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़िता ने आरोपी नई दिल्ली गोविन्दगिरी निवासी इन्द्रपालसिंह चड्ढा उर्फ हनी के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया। कि तीन वर्ष पूर्व सोशल साईड पर मित्रता होने के कुछ समय बाद प्रेम करने का नाटक करने पर उसके बुलावे पर मिलने के लिए गई। जहां उसने नशीला पदार्थ पिलाकर मेरे साथ दुष्कर्म किया तथा वीडियो व फोटो खिंच लिए। 20 फरवरी को मेरी शादी होने के बाद ब्लैकमेल कर रूपये मांगना शुरू कर दिया। दबाव बनाने पर मैं शहर की एक होटल में गई जहां आरोपी ने मेरे साथ दुष्कर्म किया तथा फोटो खिंच कर 20 हजार रूपये दिए। कुछ समय बाद इस्टग्राम पर अलग-अलग नामों से 1 लाख रूपये की मांग की।

नाबालिग पीड़िता से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 10 साल की सजा

एक अन्य नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 20 साल की सजा सुनाई



सजा के आरोपी को कोर्ट से जेल ले जाते हुए पुलिस।

अजमेर, (कासं)। पोक्सो कोर्ट संख्या एक और दो में दो अलग-अलग मामलों में कोर्ट ने एक मामले में 10 साल का कारावास और 60 हजार रूपए अर्थदंड से दंडित किया तथा दूसरे मामले में 20 साल की सजा सुनाई है।

विशेष लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि 31 मार्च 2017 को केकड़ी थाने में 15 वर्षीय पीड़िता के पिता ने शिकायत दर्ज करवाई कि उनकी पुत्री परीक्षा खत्म होने के बाद अपनी दादी के पास गई हुई थी तो वहां शाम होने के उपरांत दोषी अमरचंद उर्फ चंदू खटीक उनकी पुत्री को बहला-फुसलाकर अपहरण कर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पीड़िता के पिता ने थाने में दी शिकायत में बताया कि घटना की जानकारी मुलजिम के पिता हेमराज को भी थी। पीड़िता के पिता की ओर से मामले में दोषी के पिता की भी मुलाजिम माना था। मामले में पुलिस

ने मुकदमा दर्ज कर पिता हेमराज और पुत्र अमरचंद उर्फ चंदू खटीक को गिरफ्तार किया। शेखावत ने बताया कि अभियोजन पक्ष में 23 गवाह पेश किए। कोर्ट ने आरोपी अमरचंद खटीक को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष कठोर कारावास के साथ ही 60 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में सह अभियुक्त आरोपी के पिता हेमराज खटीक को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया।

एक अन्य केस में पॉक्सो न्यायालय संख्या एक के न्यायाधीश बीएल जाट ने 13 वर्ष की नाबालिग बच्चों के साथ दुष्कर्म के आरोपी मुन्नालाल को 20 साल कठोर कारावास व 24 हजार रूपये जुर्माना किया है। विशेष लोक अभियोजक रूपेन्द्र सिंह परिहार ने बताया कि पीड़िता की मां ने अरंई थाने में 6 मार्च 2021 को शिकायत दर्ज करवाई की उसकी 13

वर्षीय बेटी बिना बताए कहीं चली गई। मां ने शिकायत में बताया कि उसके पास सोने चांदी के जेवरत भी है और 35 हजार रूपए नकदी भी ले गई। मां की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। पुलिस ने 19 अप्रैल 2021 करीब 1 महीने 15 दिन बाद पीड़िता को दस्तयाव किया और उसका मेडिकल करवाया गया। जिसके बाद पुलिस ने 20 मई 2021 को आरोपी मुन्नालाल पुत्र पांचू को गिरफ्तार कर लिया।

विशेष लोक अभियोजक रूपेन्द्र परिहार ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने 13 गवाह और चालान अवलत में पेश किया। परिहार ने बताया कि पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट, डॉक्टर के बयान और डॉएनए, एफएएसएल की रिपोर्ट पर रप होने की पुष्टि हुई। न्यायाधीश बीएल जाट ने 6 मार्च 2021 को 20 साल की सजा सुनाई।

नाबालिग लडकी ने की आत्महत्या

डुंगरपुर, (निसं)। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत बिलडी गांव में एक नाबालिग लडकी ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगा आत्महत्या कर ली। इस दौरान उसके मां-बाप घर के बाहर सो रहे थे। पिता सुबह उठे तो बेटी का शव लटका हुआ देखकर आत्महत्या का पता चला। कोतवाली थानाधिकारी ने बताया कि बिलडी गांव निवासी हाजा पुत्र खातु बरंडा ने रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में बताया कि शुकवार रात को उसने अपनी मां, पत्नी और बेटी सोनिया बरंडा उम्र 15 वर्ष ने खाना खाया और सभी सो गये। इसके बाद रात करीब 10 बजे हाजा, उसकी पत्नी और मां घर के बाहर आंगन में सो गए। वहीं, उसकी बेटी सोनिया घर के अंदर सोने चली गई थी। हाजा ने बताया कि सुबह 6 बजे के करीब उसकी आंख खुली। इसके बाद हाजा ने घर के अंदर जाने के लिए दरवाजा खोला तो दरवाजा खुला नहीं। जिस पर उसने धक्का मारकर दरवाजा खोला तो उसकी बेटी सोनिया फंदे से लटकती हुई थी। बेटी को फंदे से लटका देख पिता हाजा चिल्लाया।

इस पर परिजन और आस-पास के लोग दौड़कर घर में आए और शव को फंदे से नीचे उतारा। परिजनों ने मामले की सूचना कोतवाली थाना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों से मामले की जानकारी ली। इसके बाद पुलिस ने शव को मौके से उठवाकर जिला अस्पताल की मोर्चरी पहुंचाया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया है, फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

चारागाह पर अतिक्रमण करने से जानवरों पर आया संकट

डिग्गी, (निसं)। जिला कलेक्टर के अतिक्रमण मुक्त चारागाह को करने के आदेश के बावजूद पंचायत प्रशासन द्वारा सख्त रवैया न अपनाने के कारण ग्राम सोडा में दबंगों के द्वारा चारागाह भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है। वहीं अतिक्रमण के कारण बेजुबान जानवरों पर चारे का संकट गहने लगे हैं। ग्राम पंचायत प्रशासन सोडा में ईदगाह से लेकर रामजीपुरा ढाणी वाली ढाणी में दबंगों एवं प्रभावशाली व्यक्तियों के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। ग्राम पंचायत प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं होने के कारण प्रभावशाली व्यक्तियों के हौसले बुलंद हैं। ग्रामीणों ने बताया कि चारागाह के अंदर

■ जानवर अपनी भूख मिटाने कहां जाएं?

जहां पर दबंगों का अतिक्रमण है वहां पर अगर जानवर गाय, बछड़े उनके खेत में चरने जाते हैं तो जानवरों को मारा पीटा जाता है। वहीं अभी कुछ दिन पहले ग्राम सोडा में एक जानवर के साथ क्रूरता की गई। खेत में घुसने पर खेत मालिक के द्वारा बेहमी से गाय को पीटा गया। चारागाह भूमि पर तो प्रभावशाली लोगों ने अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया है। अब यह मुक जानवर अपनी भूख मिटाने कहां जाएं? पंचायत प्रशासन को इन मुक प्राणियों का दर्द नजर नहीं आ रहा है।

21 घरों में बिजली चोरी पकड़ी

पचेरी कलां, (निसं)। पचेरी विद्युत विभाग की टीम द्वारा इलाके में ताबडतोड़ छापेमारी कर 21 घरों में बिजली चोरी पकड़ी गई। टीम ने आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करेगी। शनिवार की सुबह 4 बजे एमपी एनएस निर्वाण के निदेशन पर अभियंता सुभाष मीणा के नेतृत्व में हुई विद्युत विभाग की कार्रवाई से लोगों में अफरा-तफरी मच गई। अभियंता सुभाष मीणा ने बताया कि लगभग 40 घरों में छापेमारी की गई है। जिसमें 21 घरों में बिजली चोरी पकड़ी गई। जिसमें 5 लाख 25 हजार का वॉसीआर भर लगाया जुर्माना। वहीं बकाया राशि के लिए भी आभियान जारी है। 2 दर्जन से अधिक बड़े बकायदारों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। एईएन सुभाष मीणा ने बताया कि बिजली की डिमांड और छीजते को देखते हुए एनएस निर्वाण के द्वारा सुबह 4 बजे से सुबह 8 बजे तक कार्यवाही की गई। एईएन मीणा ने बताया कि पचेरी, रायपुर, रसूलपुर अहीरन, निहालोट, सोहली, सांतोर, बृजपुरा, भालोट आदि इलाकों में यह कार्यवाही की गई है और कार्यवाही निरंतर चालू रहेगी। अभियान के दौरान टीम रमेश, अनिल, संजय, आसान अली, किशोर सिंह, अजय, मुकेश आदि मौजूद रहे।

महिलाओं को परेशान करने वाले 7 मनचले गिरफ्तार

मदनगंज-किशनगढ़, (निसं)। मदनगंज थाना पुलिस ने राह चलती महिलाओं व युवतियों को परेशान करने के आरोप में 7 आदत मनचलों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आये बदमाशों में रजिया कॉलोनी निवासी हुमायूँ (20) पुत्र फकरुल्ला, राजारेड्डी निवासी राहुल बंजारा (18) पुत्र गुमान, दशरथ डाकोत (30) पुत्र नेमीचंद व शंकर बागरीया (35) पुत्र गोपाराम, कृष्णापुरी निवासी तेजपाल रंगर (28) पुत्र रमेश, कच्ची बस्ती हा. बोर्ड निवासी राकेश भील (20) पुत्र जोहरीलाल, देवईगरी निवासी सचिन बाल्मीकि (25) पुत्र पप्पू शामिल है। थाना ईंचार्ज नेमीचंद चौधरी ने बताया कि काफी समय से आरोपी उपरोक्त बदमाश गलीयों में आने-जाने वाली महिलाओं को परेशान कर रहे थे। इज्जत के मारे इनके खिलाफ रिपोर्ट नहीं दी जा रही थी। पुलिस ने विशेष टीम गठित कर इनको पुराने हाऊसिंग बोर्ड से गिरफ्तार किया। पुलिस ने आमजन से अपराध के प्रति जागरूक होकर शिकायत करने की अपील की है, ताकि बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा सके।



मदनगंज थाना पुलिस ने महिलाओं को परेशान करने के आरोप में सात जनों को गिरफ्तार किया।

चंबल के पानी को लेकर ढिंढोरा में आज किसान महापंचायत

केन्द्र सरकार से ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की जाएगी

हिण्डौन सिटी, (कासं)। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना किसान संघर्ष समिति के प्रदेशाध्यक्ष भामाशाह रामनिवास मीना ने केन्द्र सरकार से ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की पुरजोर मांग करते हुए कहा है कि उत्तरी-पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की पेयजल और सिंचाई की समस्या का समाधान एकमात्र चंबल के पानी से ही किया जा सकता है। केन्द्र सरकार ने इस संबंध में गंभीरता नहीं दिखाई तो 13 जिलों में बेरोजगारी के साथ पेयजल और सिंचाई का भयंकर संकट खड़ा हो जाएगा।

यह बात केन्द्र सरकार तक पहुंचाने के लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना संघर्ष समिति की ओर से जनजागरूकता अभियान चलाया हुआ है। गांव-गांव में महापंचायत कर लोगों को ईस्टर्न कैनल प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी जा रही है। इस संबंध में 5 जून को सुबह 11 बजे हिण्डौन के



भामाशाह रामनिवास मीना के नेतृत्व में किसान संघर्ष समिति ने महापंचायत की घोषणा की।

गांव ढिंढोरा में किसान महापंचायत आयोजित होगी, जिसमें आसपास के किसान काफी संख्या में भाग लेंगे।

पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना किसान संघर्ष समिति के प्रदेशाध्यक्ष भामाशाह रामनिवास मीना ने शनिवार

को मीडियाकर्मियों को उक्त जानकारी दी। इस मौके पर किसान संघर्ष समिति के प्रदेश संयोजक अमर सिंह नीमरोट,

श्रद्धापूर्वक हुए इस अनूठे कार्यक्रम से किसान संघर्ष समिति के पदाधिकारियों व किसानों में उत्साह का संचार हुआ है।